

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to RGPV, Bhopal, M.P.)

Gola ka Mandir, Gwalior (M.P.)- 474 005, INDIA

Ph.: +91-751-2409300, Fax: +91-751-2664684, e-mail: director@mitsgwalior.in, website: www.mitsgwalior.in

क्रमांक: मु.आ. / एमएमव्हीवाय / 2020-21 / 80

दिनांक: 31.05.2021

02/06/21

सूचना

संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. के पत्र क्र. एफ 5/एमएमव्हीवाय/2017/76 भोपाल दिनांक 01/08/2017 के अनुसार म.प्र. शासन द्वारा 2017-18 से "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" प्रारंभ की गई है उपसचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के संशोधित आदेश क्रमांक: एफ 5-6/2017/42 (1) के अनुसार इस योजना हेतु पात्र छात्र/छात्राओं को पुनः सूचित किया जाता है कि वे, सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपने आवेदन-पत्र आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा करें या डाक के माध्यम से संस्था में अपने आवेदन-पत्र भेजने की व्यवस्था करें। जो छात्र/छात्राएँ अपने आवेदन-पत्र संस्था में जमा नहीं करेंगे, उन छात्रों को समझा जावेगा, कि उन्हें "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" की पात्रता नहीं है।

पात्रता की शर्तें - सत्र 2020-21

नवीनीकरण छात्रों हेतु - नवीनीकरण छात्रों हेतु गत वर्ष की अंकसूची, प्रवेश पर्ची एवं फीस विवरण रसीद अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

नवीन छात्रों हेतु -


1. जेईई परीक्षा की रैंक 1,50,000/- के अंतर्गत हो।
2. प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.) की अंकसूची एवं 10वीं, 12वीं की अंकसूची।
3. विद्यार्थी म.प्र. का मूल निवासी हो।
4. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय 06 लाख या इससे कम हो।
5. शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (कॉशन मनी को छोड़कर) का विवरण रसीद आदि।
6. छात्र के पास आधार कार्ड हो।
7. छात्र का बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो, आधार कार्ड भी आई. आई. एन. से मेप कराये (बैंक द्वारा) एवं टी.सी.।
8. विद्यार्थी ने मा.शि.मं. द्वारा वर्ष 2020 में आयोजित 12वीं की परीक्षा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई व आई. एस.सी.एस.आई. द्वारा वर्ष 2020 अथवा उसके पूर्व आयोजित 12वीं की परीक्षा 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण की हो।

योजना की अन्य शर्तें -

1. छात्रों को संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा।
2. विद्यार्थी द्वारा राज्य/केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।
3. म.प्र. के समस्त युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत म.प्र. सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

योजना में आवेदन की प्रक्रिया -

1. छात्रों को शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु www.mpscholarshipportal.mp.nic.in/medhavichhatra पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
2. छात्र/छात्राओं को योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर लॉग इन कर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। एवं संस्था में समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन (दो सेट) जमा करना होगा।


(डॉ. आर.के. पण्डित)
निदेशक
31.5.21

प्रतिलिपि -

1. संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्वालियर।
3. निदेशक कार्यालय।
4. रजिस्ट्रार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त सूचना पटल।
7. बेब मैनेजर, एमआईटीएस अपलोड करने हेतु एवं IMS
8. लेखा शाखा।
9. प्रवेश शाखा।
10. संबंधित फाईल।